न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 20/2018/225 आरटीए

1. श्योकरण पुत्र पन्ना (फौत)

1/1 लिछमा पत्नि स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/2 हजारीराम पुत्र स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/3 सुलतान पुत्र स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/4 सुन्दर पुत्र स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/5 लालचन्द पुत्र स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/6 जगदीश पुत्र स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/7 विनोद पुत्र स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. ख्यालीराम पुत्र केशराराम जाति मेघवाल निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. साहबराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रेवन्तराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. माडूराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

5. प्रेमकुमार पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

1/8 सुखमा देवी पुत्री स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/9 बखोदेवी पुत्री स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/10 नरमी पुत्री स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/11 ममता पुत्री स्व. श्योकरण जाति सांसी निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.01.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर प्र0 सं0 1/18 अनवानी सरकार बनाम ख्यालीराम

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री दलजीतसिह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 5

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांक —08.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंटस तहसीलदार रावतसर के पत्र क्रमांक राजस्व/2017/01.01.2018 के द्वारा यह प्रस्ताव भेजा कि चक 1 केडीडी के प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21/1/0.013, 22/2 ता 25/1/0.204 कुल 0.217 है0 कमाण्ड रास्ता स्वीकृतशुदा है, शेष रकबा प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 22/0.063, 23/0.101 कुल 0.164 है0 ख्यालीराम पुत्र केशराराम व प. न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 24/3/0.151, 25/3/0.164 कुल 0.315 है0 ख्यालीराम पुत्र केशराराम, साहबराम, रेवन्तराम, माडूराम, प्रेमकुमार पिसरान ख्यालीराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मे गत 45 वर्षो से स्वीकृतशुदा रास्ता चला आ रहा है। इसलिए चालू रास्ता स्वीकृत किया जावे। विचारण ने तहसीलदार द्वारा प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 01.01.2018 को ही रेस्पो0 सं. 1 ता 5 का शपथ पत्र लेकर रेस्पो0 की सं. 1 ता 5 की कृषि भूमि मे रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत बिना कोई जांच किये बिना प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चक 1 केडीडी के प.न. 51/22 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व प. न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21 ता 25 मे स्वीकृतशुदा रास्ता है। उक्त रास्ता पर कृषि विपणन विभाग द्वारा सड़क स्वीकृत की हुई है। प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21 ता 25 के उतरी तरफ नहर केडीडी माईनर मौके पर चालू है। प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21 ता 25 मे पक्का खाला स्वीकृत है व मौके पर चालू है। नहर केडीडी माईनर व खाला के मध्य कोई कृषि भूमि नही है। उक्त भूमि मे आगे जाने हेतु प.न. 51/13 मु. न. 4 कि.न. 21 ता 25 मे स्वीकृत रास्ता है। उक्त रास्ता के उतरी तरफ रास्ता व खाला के मध्य रेस्पो0 सं. 1 की कृषि भूमि है। रेस्पो0 सं. 1 ता 5 उक्त रास्ता की भूमि पर कब्जा करने के उदेश्य से अपीलाधीन आदेश के द्वारा चक 1 केडीडी के प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 24 व 25 मे 0.127 है0 रास्ता स्वीकृत करवाया है जबकि स्वीकृत किये गये रास्ता की जगह रेस्पो0 सं. 1 ता 5 की कृषि भूमि नही है। यदि उक्त रास्ता स्वीकृत रहता है तो अपीलांट व चक के अन्य काश्तकार अपने खेत आ जा नही सकेगें। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने का मुख्य आधार श्रीमान शासन सचिव राजस्व ग्रुप–6 द्वारा निर्देशो की पालना मे जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक एफ/12(12)राजस्थान/16/3885 दिनांक 30.08.16 को मानकर रास्ता स्वीकृत किया है। परन्तु उक्त आदेशो के अनुसार पूर्व मे चालू रास्ते जो काश्तकारो के लिए उपयोगी है, के संबंध मे ही जारी किये गये है। अपीलाधीन रास्ता से कौन कौनसे काश्तकार खेतो मे आते जाते है व किसके लिए उपयोगी है, का कोई विवेचन नही किया है। धारा 251ए आरटीए के तहत रास्ता स्वीकृत किया है जबकि धारा 251ए के तहत रास्ता स्वीकृत करने हेतु नियम 69 राजस्थान काश्तकारी राजकीय नियम 1956 के तहत तहसीलदार स्वयं अथवा गिरदावर से मौका निरीक्षण करवाया जाना आवश्यक है। परन्तु विचारण न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर रास्ता स्वीकृत कर दिया है।

4. अपीलांट की कृषि भूमि के चिपते ही चक 1 केडीडी के प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21 ता 25 मे 4–4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है व उक्त रास्ता पर कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत की हुई है। रेस्पो0 सं. 1 ता 5 उक्त रास्ता की भूमि कब्जा करने व सड़क को अपनी भूमि की दूसरी तरफ आराजीराज भूमि मे स्थानान्तरित करने के उदेश्य से उक्त रास्ता स्वीकृत करवाया है जबकि अपीलाधीन निर्णय द्वारा स्वीकृत किया गया रास्ता

मौका पर चालू होना बताया है। वह रकबाराज भूमि मे स्थित है। नहर व खाला के मध्य रेस्पो0 की कोई भूमि नही है। उक्त भूमि जल संसाधन विभाग की है जिसमे कोई रासता स्वीकृत नही किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है व बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी के संबंध मे एक अन्य वाद बअनवानी श्योकरण बनाम स्टेट सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर मे विचाराधीन है जिसमे स्थगन आदेश भी दिया गया है जो आज भी प्रभावी है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त को किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ता 5 ने अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपील मे वर्णित तथ्यं गलत व बेबुनियाद आधारो पर दर्ज किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 ता 5 की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया है। प.न. 51/13 कि.न. 22 ता 25 मे किसी सड़क का निर्माण नही किया जा रहा है। अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये रास्ते से किसी भी प्रकार से कोई हानि नही हो रही है। विचारण न्यायालय द्वारा प.न. 51/13 के कि.न. 24 व 25 मे जिला कलैक्टर के आदेश क्रमांक एफ/12(12)राजस्थान/16/3885 दिनांक 30.08.16 मे श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप–6 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे रेस्पो0 की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलांट की कृषि भूमि प.न. 51/14 मे कि.न. 3 व 8 है। जिसमे आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट की भूमि मे कोई नया रास्ता स्वीकृत किया है तथा न ही अपीलांट की भूमि मे या अपीलांट की भूमि मे आवागमन करने हेतु कोई भी मंजूरशुदा रास्ता खारिज किया गया है जिस कारण अपीलांट विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है व ना ही अपीलांट यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

6. रिपोर्ट कमीश्नर के मुताबिक मौका पर गांव के लगभग 80–90 व्यक्ति व हल्का पटवारी, अपीलांट का पुत्र व रेस्पो0 स्वयं मौजूद थे। प्रार्थी द्वारा सर्वप्रथम हल्का पटवारी व गांव के उपस्थित लोगो व पक्षकारान की सहमति से दक्षिणी दिशा की ओर से उतर की तरफ आ रहे मंजूरशुदा रास्ता पर दो मुरब्बा दूरी पर से हल्का पटवारी द्वारा बताई हुई पत्थर गढी व गांव के लोगो की सहमति से उस पत्थर गढी से दक्षिण से उत्तर की ओर पैमाईश हो जाने पर एक्स स्थान पर पत्थर न. 51/13 के कि.न. 25 की दक्षिण दिशा की ओर निशान लगाया गया तथा उक्त किला नं. 25 मे 4 बिस्वा यानि 33 फीट मंजूरशुदा रास्ता जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, नक्शा मे लाल

डेश के निशान से दर्शाया गया है जिसमे हरा रंग गेहू की फसल का चित्रण किया गया है जो मौका पर बन्द था तथा जिस पर गेहूं की फसल काश्त की हुई थी। एक्स स्थान से 33 फुट दूरी पर वाई निशान अंकित किया गया है। तत्पश्चात वाई से जेड स्थान जो रिकार्ड मुताबिक मुमकिन कृषि भूमि जो रिकार्ड मे 0.164 है0 दर्ज है की पैमाईश की गई जो 67 फीट थी जिस पर नक्शा मे जेड स्थान अंकित किया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा किला नं. 25 मे मंजूरशुदा रास्ता की भूमि सहित 100 फीट तक काश्त की हुई थी जिसमे गेहूं की फसल खडी थी जो लगभग डेढ–दो फुट की उंचाई पर थी तथा उक्त कृषि भूमि के चारो ओर तारबंदी की हुई थी। उक्त 100 फुट की दूरी के पश्चात किला नं. 25 की पूर्ण पैमाईश करते हुए 65 फीट की उतरी ओर की दूरी की पैमाईश की तथा जिस पर कि.न. 25 के उतरी कोने पर ए निशान अंकित किया गया। उक्त कि.न. 25 मे मुताबिक रिकार्ड 3 बिस्वा कृषि भूमि यानि 25 फीट नहर की दर्शायी हुई है। निर्मित नहर प.न. 51/13 के कि.न. 16 मे बनी हुई है तथा निर्मित नहर के दक्षिणी कॉर्नर से किला नं. 25 के ए स्थान के मध्य लगभग 18–20 फीट का खाली पटडा है तत्पश्चात प्रार्थी ने कि.न. 25 के उतरी दिशा यानि ए मार्क से 3 बिस्वा यानि 25 फीट स्थान नहर बाउण्ड्री की पैमाईश करते हुए उक्त स्थान पर बी निशान अंकित किया। तत्पश्चात बी से दक्षिणी ओर जेड स्थान तक जो 40 फीट का स्थान शेष रहा था जिसमे वर्तमान मे रास्ता चल रहा है व खाला भी बना हुआ है निर्मित खाला जो पक्का बना हुआ है जिससे उक्त चक के काश्तकारो को पानी की सिंचाई की सुविधा हो रही है। उक्त 40 फीट मे ही रास्ता आम मौका पर चल रहा हैं उक्त रास्ता व खाला दोनो काफी पुराने प्रतीत हो रहे है। नक्शा मे खाला को लाल रंग से दर्शाया गया है तथा मौका पर कच्चा नक्शा बनाया जिस पर हल्का पटवारी व अपीलांट के पुत्र जगदीश व रेस्पो0 रामचन्द्र, प्रेम कुमार, रेवंतराम के हस्ताक्षर करवाये गये।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि स्टेट जरिये तहसीलदार रावतसर द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2017/01/01.01.2018 मय प्रस्ताव व नजरी नक्शा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर अंकित किया कि चक 1 केडीडी मे प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21/1/0.013, 22/2 ता 25/1 की 0.204 कुल 0.217 है0 कमाण्ड रास्ता स्वीकृतशुदा है शेष रकबा 51/13 मु.न. 4 कि.न. 22/0.063, 23/0.101 कुल 0.164 है0 ख्यालीराम पुत्र केशराराम व 24/2 की 0.151, 25/3 की 0.164 कुल 0.315 है0 ख्यालीराम पुत्र केशराराम, साहबराम, रेवन्ताराम, माडूराम, प्रेमकुमार पिसरान ख्यालीराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड भूमि

मे मौके पर रास्ता लगभग 45 वर्षो से उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते की कि.न. 25 मे पूर्वी सीमा के अन्दर 116 फीट की दूरी व कि.न. 22 मे 0 फीट की दूरी पर पक्के खाले के उतर मे चिपता हुआ उपरोक्त काश्तकारान की भूमि म`चल रहा है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। विचारण न्यायालय द्वारा श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक एफ12(12)( )राज/16/3885 दिनांक 30.08.2016 की पालना मे चक 1 केडीडी की 24/3 की 0.151, 25 की 0.164 कुल 0.315 है0 मे से कि.न. 24 की 0.051 व कि.न. 25 मे से 0.076 कुल 0.127 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान शासन सचिव राजस्व ग्रुप–6 द्वारा निर्देशो की पालना मे जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक एफ/12(12)राजस्थान/16/3885 दिनांक 30.08.16 की पालना मे चक 1 केडीडी की 24/3 की 0.151, 25 की 0.164 कुल 0.315 है0 मे से कि.न. 24 की 0.051 व कि.न. 25 मे से 0.076 कुल 0.127 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे अपीलांट का तर्क है कि प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21 ता 25 के उतरी तरफ नहर केडीडी माईनर मौके पर चालू है। प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21 ता 25 मे पक्का खाला स्वीकृत है व मौके पर चालू है। नहर केडीडी माईनर व खाला के मध्य कोई कृषि भूमि नही है। उक्त भूमि मे आगे जाने हेतु प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 21 ता 25 मे स्वीकृत रास्ता है। उक्त रास्ता के उतरी तरफ रास्ता व खाला के मध्य रेस्पो0 सं. 1 की कृषि भूमि है। रेस्पो0 सं. 1 ता 5 उक्त रास्ता की भूमि पर कब्जा करने के उदेश्य से अपीलाधीन आदेश के द्वारा चक 1 केडीडी के प.न. 51/13 मु.न. 4 कि.न. 24 व 25 मे 0.127 है0 रास्ता स्वीकृत करवाया है जबकि स्वीकृत किये गये रास्ता की जगह रेस्पो0 सं. 1 ता 5 की कृषि भूमि नही है। यदि उक्त रास्ता स्वीकृत रहता है तो अपीलांट व चक के अन्य काश्तकार अपने खेत आ जा नही सकेगें। जबकि रेस्पो0 सं. 1 ता 5 का तर्क है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये रास्ते से किसी भी प्रकार से कोई हानि नही हो रही है। विचारण न्यायालय द्वारा प.न. 51/13 के कि.न. 24 व 25 मे जिला कलैक्टर के आदेश क्रमांक एफ/12(12)राजस्थान/16/3885 दिनांक 30.08.16 मे श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप–6 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे रेस्पो0 की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलांट की कृषि भूमि प.न. 51/14 मे कि.न. 3 व 8 है। जिसमे आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट की भूमि मे कोई नया रास्ता स्वीकृत किया है तथा न ही अपीलांट की भूमि मे या अपीलांट

की भूमि मे आवागमन करने हेतु कोई भी मंजूरशुदा रास्ता खारिज किया गया है जिस कारण अपीलांट विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है व ना ही अपीलांट यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 1 केडीडी की 24/3 की 0.151, 25 की 0.164 कुल 0.315 है0 मे से कि.न. 24 की 0.051 व कि.न. 25 मे से 0.076 कुल 0.127 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा उक्त पत्थर के कि.न. 21 ता 25 मे पूर्व मे रास्ता स्वीकृत है, मुताबिक रिपोर्ट कमीश्नर रेस्पो. की कि.न. 25 मे रास्ता भूमि सहित 100 फीट तक काश्त की हुई है। यानि पूर्व स्वीकृत किला नं. 21 ता 25 मे रास्ता भूमि पर काश्त की हुई है तथा मौके पर रास्ता बंद है। प्रश्नगत रास्ता चक 1 केडीडी की 24/3 की 0.151, 25 की 0.164 कुल 0.315 है0 मे से कि.न. 24 की 0.051 व कि.न. 25 मे से 0.076 कुल 0.127 है0 मे स्वीकृत किया गया है जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 5 का सहमति शपथ पत्र दिया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट की भूमि मे कोई नया रास्ता स्वीकृत किया है तथा न ही अपीलांट की भूमि मे या अपीलांट की भूमि मे आवागमन करने हेतु कोई भी मंजूरशुदा रास्ता खारिज किया गया है। इसलिए प्रश्नगत स्वीकृत किये गये रास्ता से अपीलांट पीड़ित पक्षकार नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

10. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.01.2018 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़